न्यायालय–वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, खैरवाड़ा, जिला–उदयपुर राज0
पीठासीन अधिकारी : : डॉ0 मनोज सिंगारिया (आर.जे.एस.)

मु0दी0 प्रकरण संख्या – 16/2024 ई0दी0
लक्ष्मण सिंह बनाम प्रकाश व अन्य

13.08.2025

वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित।

वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 33 और 35 भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का पेश किया गया। जिसका निस्तारण किया जा रहा है।

वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के साक्ष्य के दौरान प्रतिवादीगणों द्वारा कथित लिखतम के अपंजीकृत होने के आधार पर आपत्ति पेश की गई। इसलिए अब वादी कथित लिखतम को इंपाउंड करवा कर तावान जमा करवाने हेतु संबंध उप पंजीयक को कथित लिखतम पर प्रभार्य स्टाम्प व अन्य शुल्क प्रगणित कर कथित लिखतम को पंजीकृत करने हेतु भिवाई जाना न्याहित में आवश्यक है। अंत में निवेदन किया कि धारा 33 भारतीय स्टाम्प का अवलम्ब लेते हुए कथित लिखतम को तावान जमा करवाने हेतु उचित आदेश प्रदान करवाया जावे।

प्रतिवादी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब इन संक्षिप्त कथनों के साथ पेश किया गया कि तथाकथित लिखतम को इम्पाउंड करवाने एवं तावान जमा कराने के लिए उपपंजीयक को प्रेषित करने, तथाकथित लिखतम को तावान जमा कराने हेतु उचित आदेश करना न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। वादी द्वारा गलत तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः वादी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में वादी द्वारा उक्त आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि दिनांक 12.11.1991 का जो दस्तावेजात है, वह मुख्य दस्तावेजात हैं, जिसकी पालना हेतु ही उक्त वाद पेश किया गया है। उक्त दस्तावेजात अपंजीकृत होने के आधार पर प्रतिवादी द्वारा प्रदर्श मार्क अंकित करने में आपत्ति की गई है, जिसे इंपाउण्ड कराने के लिए

13/08/25
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खैरवाड़ा, जिला–उदयपुर (राज.)

वादी तैयार व तत्पर है। अतः उक्त लिखित पंजीकृत करने हेतु इंपाउण्ड कराए जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी द्वारा यह कहते हुए उक्त प्रार्थना पत्र का विरोध किया है कि वादी को उक्त वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि न्यायालय द्वारा उपपंजीयन को तथाकथित दस्तावेजात प्रेषित करने या राशि जमा कराने के आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। वादी को अपनी साक्ष्य स्वयं प्रस्तुत करनी है एवं ना ही उपपंजीयन को उक्त लिखित को इंपाउण्ड करने या राशि जमा कराने का कोई अधिकार है। वादी द्वारा पत्रावली में 12.11.1991 के दस्तावेजात को जो अपंजीकृत है इंपाउण्ड कराए जाने का निवेदन किया गया है एवं उक्त दस्तावेजात में संपत्ति के संव्यवहार से संबंधित कथन किए गए हैं। साथ ही उक्त दस्तावेजात उभयपक्षों के मध्य विवादित बिंदु को तय करने के लिए मुख्य दस्तावेजात होना भी जाहिर किया गया है एवं इस हेतु जो भी इम्पाउण्ड राशि है, वह जमा कराने हेतु वादी तैयार व तत्पर है। ऐसी स्थिति में विवाद्यक के निस्तारण हेतु एवं चूंकि तथाकथित दस्तावेजात उसके निस्तारण हेतु मुख्य दस्तावेजात हैं एवं ऐसे दस्तावेजात जो अपंजीकृत हैं, उन्हें इम्पाउण्ड कराए जाने के संबंध में धारा 33 व 35 भारतीय स्टाम्प अधिनियम में प्रावधान किया गया है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 22.07.2025 अंतर्गत धारा 33 व 35 भारतीय स्टाम्प अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत दस्तावेजात दिनांक 12.11.1991 को कलेक्टर स्टाम्प, उदयपुर द्वारा इम्पाउंड कराए जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्त दस्तावेजात की प्रमाणित प्रति वादी द्वारा न्यायालय में पेश करने पर रिकॉर्ड पर रखी जाकर उक्त दस्तावेजात वादी को नियमानुसार इम्पाउण्ड कराए जाने के लिए दिलाया जावे। बाद इम्पाउण्ड दस्तावेजात न्यायालय में पेश हो।

पत्रावली वास्ते देखने पालना आदेश हेतु दिनांक 01.09.2025 को पेश हो।

13/8/25

(डॉ0 मनोज सिंह)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
खेरवाड़ा, जिला–उदयपुर (राज.)